



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०
ज्योलीकोट (नैनीताल)

Email ID :- eepmgsy@rediffmail.com/ ntl.pmgysy@gmail.com

दूरभाष नं० / फ़ैक्स नं० :- 05942-224034

पत्रांक : ८० / वनभूमि / 2021-22

दिनांक: ०१-०२-2022

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वनप्रभाग नैनीताल

विषय:- जनपद-नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-VIII) के अन्तर्गत लोहाली से थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/23279/2016)

सन्दर्भ:- कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक 1681 / FP/UK/ROAD/23279/2016 देहरादून दि० 10.01.2022।

महोदय,

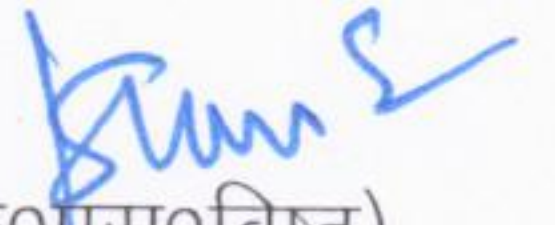
कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयक प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर- मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्रांक:- 8बी/यू.सी.पी./06/07/2018/एफ.सी./1587 दि० 31.10.2018 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित बिन्दुओं/शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् है:-

शर्त संख्या	विवरण	अनुपालन आख्या
1	बिन्दु क्र० 2 के सापेक्ष वर्तमान में नोडल कार्यालय द्वारा प्रस्ताव में आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 07 की अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।	(मलुवा निस्तारण प्लान) Part-I Section A1 B2.4 में नाप भूमि PIU स्तर पर लॉक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 470/वनभूमि/2018-19 दिनांक 30.08.2018 द्वारा संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को NIC से Open करने हेतु लिखा गया है इस क्रम में नोडल देहरादून द्वारा NIC को अपने पत्रांक 649/FP/UK/ROAD/23279/2016 दि० 05.09.2018 एवं इस कार्यालय 529/वनभूमि/2021-22 दि० 25.06.2021 द्वारा तकनीकी निराकरण करने हेतु लिखा गया है। परन्तु Form-A Section A -IB 2-4 वर्तमान तक लॉक है। (अनुलग्नक-01)

2	बिन्दु क्र० 4 के सापेक्ष, सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सख्या 09 के सापेक्ष प्रस्तुत सी०ए० योजना में चयनित क्षेत्र के लिए Digital Map एवं अन्य Details जैसे Species में नाम इत्यादि प्रस्तुत करने का कष्ट करें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सख्या 09 के सापेक्ष प्रस्तुत सी०ए० योजना में चयनित क्षेत्र के लिए Digital Map Form-A Section L-(VI) में अपलोड की गयी है, अन्य Details जैसे Species में नाम इत्यादि आपके स्तर से अपेक्षित है। (अनुलग्नक-02)
3	सैद्धान्तिक स्वीकृत पत्र में अंकित शर्त सं० 01 के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, इस दशा में विधिवत् स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है, अतः आप से अनुरोध है कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें	सैद्धान्तिक स्वीकृत पत्र में अंकित शर्त सं० 01 के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कार्यालय जिलाधिकारी के पं० 1540/12-ज्येड०ए०सी०/ 2018 दि० 10.01.2019 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर दी गयी है। (अनुलग्नक-3.1 एवं 3.2)

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।


(के०एस०बिष्ट)

अधिशाली अभियन्ता
सि०ख०, पी०एम०जी०एस०वाई०
ज्योलीकोट (नैनीताल)

पत्रांक : /वनभूमि/ 2021-22 तददिनांक:

प्रतिलिपि: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशाली अभियन्ता
सि०ख०, पी०एम०जी०एस०वाई०
ज्योलीकोट (नैनीताल)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail: dfonainital@gmail.com

Telefax. 05942-236790

पत्रांक:-

/13-2(1)

दिनांक 8/3 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषय :-

जनपद नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-3) के अन्तर्गत लोहाली से थुवाब्लूक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/23279/2019)

संदर्भ :-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी, देहरादून की पत्र संख्या 1681/FP/UK/ROAD/23279/2016 देहरादून दिनांक 10.01.2022 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० ज्योलीकोट की पत्र संख्या 80/वनभूमि/2021-22 दिनांक 01.02.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी/06/07/2018/एफ.सी०/187 दिनांक 31.10.2018 में उल्लिखित बिन्दुओं/शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है -

शर्त संख्या	विवरण	अनुपालन आख्या
1	बिन्दु क्रं 2 के सापेक्ष वर्तमान में नोडल कार्यालय द्वारा प्रस्ताव में आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 07 की अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।	(मलुवा निस्तारण प्लान) में नाप भूमि PIU स्तर पर लॉक है, जिसकी सूचना कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० ज्योलीकोट के पत्रांक 470/वनभूमि/2018-19 दिनांक 30.08.2018 द्वारा संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को NIC से Open करने हेतु लिखा गया है। इस क्रम में नोडल देहरादून द्वारा NIC को अपने पत्रांक 649/FP/UK/ROAD/23279/2016 दि 5.9.2018 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० ज्योलीकोट 529/वनभूमि/2021-22 दि 25.06.2021 द्वारा तकनीकी निराकरण करने हेतु लिखा गया है। परन्तु Form-A Section A -1B 2-4 वर्तमान तक लॉक है।
2	बिन्दु क्र० 4 के सापेक्ष, सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 के सापेक्ष प्रस्तुत सी०ए० योजना में चयनित क्षेत्र के लिए digital map एवं अन्य details जैसे species में नाम इत्यादि प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 के सापेक्ष प्रस्तुत सी०ए० योजना में चयनित क्षेत्र के लिए Digital Map, Form A Section L-(VI) में अपलोड कर दिया गया है।
3	सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अंकित शर्त सं० 01 के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित	सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अंकित शर्त सं० 01 के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कार्यालय जिलाधिकारी के

क्षेत्र आरक्षित वन / संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, इस दशा में विधिवत स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है, अतः आप से अनुरोध है कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	पत्रांक 1540/12-ज्येड0ए0सी0/2018 दि० 10.01.2019 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल/सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने का कष्ट करें। (अनुलग्नक- 3.1 एवं 3.2) डायरी नं० 251 दिनांक 15.03.2022 फाइल मार्क
--	---

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक 4601 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
चाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई.
ज्योलीकोट (नैनीताल)

31/05/18 - 1

syjevolikot@rediffmail.com/ ntl.pmgys@gmail.com

दूरभाष नं० / फैंक्स नं० :- 05942-224034

पत्रांक : 470 / वनभूमि / 2018-19

दिनांक: 30-08-2018

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय इन्दिरानगर फारेस्ट
कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून

विषय— Proposal no. FP/UK/ROAD/23279/2016 लोहाली थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के
वनभूमि प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- E D S dated 3-7-2018

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि EDS के माध्यम से 14 बिन्दु पर आपत्तियाँ लगाई गयी थी। जिसमें बिन्दु संख्या -04 में मलवा निस्तारण प्लान में पार्ट-1 बी 2.4 नाप भूमि अपलोड नहीं हो पा रही हैं। अन्य बिन्दुओं का निराकरण कर लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में आप अपने स्तर से NIC को पार्ट-1 बी 2.4 को खोलने हेतु मेल करने की कृपा करें। मेल की प्रति इस कार्यालय को भी अग्रसारित करने की कृपा करें। जिससे उक्त आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव अपलोड किया जा सके।

भवदीय

(के०एस०बिष्ट)

अधिशासी अभियन्ता
सि.ख., पी.एम.जी.एस.वाई.
ज्योलीकोट (नैनीताल)

797
22-09-18
महल 18

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- / FP/UK/ROAD/23279/2016 :देहरादून:दिनांक: २५ सितम्बर, 2018

सेवा में,

वन महानिरीक्षक, तदर्थ कैम्पा, (एफ0सी0)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
कमरा नं0-A-361 IIIrd floor,
अग्नी ब्लॉक, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़,
नई दिल्ली, पिन-110003।

विषय:- जनपद-नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लोहाली थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट, नैनीताल का पत्रांक 470/वनभूमि/2018-19 दिनांक 30-08-2018। (प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट, नैनीताल के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे उनके द्वारा सूचित किया गया है कि प्रकरण में भारत सरकार की EDS के माध्यम से 14 बिन्दुओं पर आपत्तियाँ लगाई गयी थीं, जिसके बिन्दु संख्या-4 में मलवा निस्तारण प्लान, पार्ट-1 बी 2.4 में नाप भूमि अपलोड नहीं हो पा रहा है। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि वांछित अन्य बिन्दुओं का निराकरण कर दिया गया है।

अतः अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट, नैनीताल के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्तानुसार प्रकरण में पार्ट-1 बी 2.4 में नाप भूमि, (मलवा निस्तारण प्लान) अपलोड करने में आ रही तकनीकी कठिनाई का निराकरण करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

1

मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या 649 / FP/UK/ROAD/23279/2016 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि निदेशक, एन0आई0सी0, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमरा नं0-A-361 IIIrd floor, अग्नी ब्लॉक, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
3. प्रतिलिपि अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में तकनीकी खराबी को ठीक करवाने हेतु अपने स्तर से भारत सरकार, एनआईसी, दिल्ली में सम्पर्क कर उक्त कठिनाई को ठीक करवाने का कष्ट करें।

रवि, 20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

31/06/2021-1

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)**

Email ID :- eepmgsyijyolikot@rediffmail.com/ ntlpmgsy01@gmail.com

पत्रांक : 524 / वनभूमि / 2021-22
सेवा में,

दिनांक: 25 जून, 2021

निदेशक,
एन0आई0सी0, भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
कमरा नं0-A - 361 IIIrd Floor
अग्नी ब्लॉक, इन्दिरा पर्यावरण भवन,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली

विषय:- जनपद-नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-VIII) के अन्तर्गत लोहाली से थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 2548 / FP/UK/ROAD/ 23279 /2016) dated 06-04-2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रकरण पर आ रही तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु लिखा गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि Form-A Part- I section A -1 B 2.4 में (मलुवा निस्तारण प्लान) नाप-भूमि PIU स्तर पर लॉक हैं, जिस हेतु नोडल अधिकारी देहरादून ने पूर्व में अपने पत्रांक 649 / FP/UK/ROAD/23279/2016 दि0 05.09.2018 द्वारा तकनीकी कठिनाई का निराकरण करने हेतु लिखा गया था, परन्तु Form-A Part- I section A-1B 2.4 वर्तमान तक लॉक है।

अतः आपसे निवेदन है कि Form-A Part- I section A-1B 2.4 नाम भूमि (मलुवा निस्तारण प्लान) अपलोड करने में आ रही तकनीकी कठिनाईयों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृत हेतु भारत सरकार को लिखा जाय।

भवदीय

(के0एस0बिष्ट)

अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

पत्रांक:- 524 / वनभूमि / 2021-22 तद दिनांक
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर आ रही तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु अपने स्तर से एन0आई0सी0 भारत सरकार को लिखने की कृपा करें।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर आ रही तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु अपने स्तर से एन0आई0सी0 भारत सरकार को लिखने की कृपा करें।

(के0एस0बिष्ट)

अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

(5033)

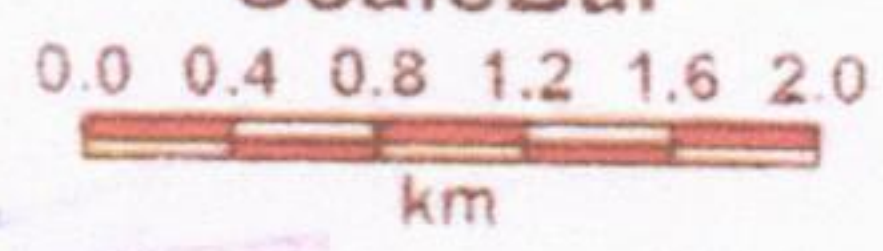
अनुलग्नक 2

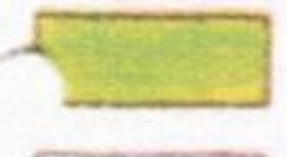
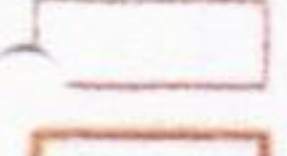
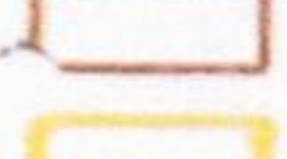
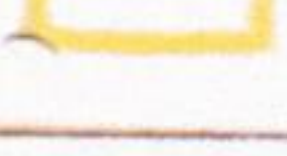
डॉक्टरेट मैप - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लाइली 3 युवाओं के मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
आवश्यक ज़ामाना स्थल इरीगेशन कालोना विभाग जैनाताल



Legend

Scale Bar



-  Proposed Plantation
-  Reserve Forest Area
-  Reserve Forest Boundary
-  Range Boundary
-  Division Boundary

Signature

Signature

(रविवीरलक्ष्मीजी)
जग देवता

Signature

प्रमोद अनाकारा
जैनाताल जम प्रयाग जैनाताल

डाकरी नं. 1175
दिनांक 17-1-19

आदेश

उपजिलाधिकारी कोश्याकुंटोली के पत्र संख्या 39/र0का0/2018-19 दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 के क्रम में लोहाली से थुवाब्लाक हेतु मूटर मार्ग हेतु वन पंचायत हरिनगर हरतोला के नाम दर्ज 14.028 है0 भूमि में से 9.975 है0 गौर जमींदारी विनाश श्रेणी 9(3) के खाता संख्या 69 के खसरा नं0 302 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

उक्त क्रम में सचिव राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 111/XXVIII(7) 50(39)2015/ 2014 दिनांक 9 जुलाई 2015 में यह भी उल्लेख किया गया है जिन योजनाओं पर प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और उनका क्रियान्वयन भूमि की अनुलब्धता के कारण नहीं हो पा रहा है उन परियोजनाओं/भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की भूमि (प्रशासकीय विभाग की भूमि को छोड़कर) एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तान्तरित करने का अधिकार तत्काल प्रभाव से पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 15 फरवरी 2002 में निहित शर्तों के अधीन जिलाधिकारियों को प्रदान किया जाता है।

अतः शासनादेश संख्या 111/XXVIII(7) 50(39)2015/ 2014 दिनांक 9 जुलाई 2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II) 50(39)2015/ दिनांक 30.07.2015 एवं उपजिलाधिकारी, कोश्याकुंटोली के पत्र संख्या 39/र0का0/2018-19 दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 के क्रम में लोहाली से थुवाब्लाक मोटर मार्ग हेतु वन पंचायत हरिनगर हरतोला की गौर जमींदारी विनाश श्रेणी 9(3) ड के खाता संख्या 69 के अन्तर्गत बंजर भूमि के खसरा नम्बर 302 रकवा 14.028 है0 भूमि मध्ये रकवा 9.975 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार आदेश का अमल द्रामद राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो।

ह0/-

(विनोद कुमार सुमन)
जिलाधिकारी, नैनीताल।

कार्यालय

जिलाधिकारी

नैनीताल।

पत्रांक 1540/12-ज्येड0ए0सी0/2018.

दिनांक 10 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।
- 2- अधिशासी अभियन्ता सि0ख0 पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट, नैनीताल।
- 3- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार कोश्याकुंटोली को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व अभिलेखों में आदेश का अंकन करने के उपरान्त खतौनी की प्रति याचक विभाग को प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को भी अगत कराने का कष्ट करें।

2- Rabi J.A.

अपर जिलाधिकारी
नैनीताल।

17-1-19

उद्धरण खतौनी नॉन ज्येड 050

ग्राम ~~हरीहर~~ परगना ~~हरीहर~~ तहसील कोश्याँ कुटौली, जिला नैनीताल, फसली वर्ष 1417 से 1422 फसली तक

क्रम सं०	खातेदार का नाम व पिता का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	लगान	विवरण
1	2	3	4	5	6	07-13
69	बन पंचाचल	-	302 म 1090 म 1091 म 1163 म	14-028 2-014 6-058 0-100		जिलाधिकारी अहोदय नैनीताल के आदेश प्रमाण 1540/12 के अन्तर्गत 2018 दिनांक 10.1.2019 के अनुसार शासनादेश संख्या 114/KXV(11)(3)50 (39) 2015/2019 दिनांक 9 जुलाई 2018 के शासनादेश संख्या 1887/KXV(11)(11)50(39) 2015/दिनांक 3-7-2015 एवं उपजिल्हामुखी के आदेश कुटौली के पत्र संख्या 39/च नं०/2018-19 दिनांक 21 दिसम्बर 2018 के अन्तर्गत कोटाली से अन्तर्गत गेहर मार्ग देहु बग पंचाचल हरीहर हलोल की गेहर जमींदारी विनगर रेपरी व 313 के खाल संख्या 69 के अन्तर्गत बन अर्थात् के खसरा गकर 302 खसरा 14-028 है अर्थात् मन्चे खसरा 9-975 है अर्थात् के हलोल व हलोल में हलोल-नल (गमान-नल) की खींचले प्रदान की गयी है इसे अमलदखल किया गया।
		योग	4	22-200		

हस्ताक्षर
च नं०
16-1-19Dy. Sd/-
19-1-19
राजस्व प्रमुख

नकल खतौनी असल से नकल कर तैयार की।

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र - ~~हरीहर~~
तहसील - ~~कोश्याँ कुटौली~~
जिला - नैनीताल

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/23279/2016 योजना जनपद नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-3) के अन्तर्गत लोहाली से थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन विभाग को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्राप्त 9.975 है० भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक 1540/12-ज्येड0ए0सी0/2018 दिनांक 10.01.2019 से हस्तान्तरित/आवंटित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

कार्यालय वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल
पत्रांक / दिनांक

(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड नैनीताल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।